

प्रेस नोट थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर 06.05.2025

गैंग बनाकर गो-तस्करी का अपराध कारित करने वाले गिरोह के सदस्य के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी हरपुर बुदहट द्वारा गैंग लीडर मो० राशिद उर्फ सादिक पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम बन्दीपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, जिसका एक विधि विरुद्ध गैंग है, गैंग का लीडर मो० राशिद उर्फ सादिक जो अपने अन्य सदस्यों 1. बाल चन्द्र पुत्र स्व० मोहन नि० पुरुषोत्तमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 2. आमिर पुत्र हसनैन निवासी नथूपुर कसाई मोहल्ला थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 3. मिट्टू उर्फ साजिद पुत्र निजामुद्दीन उर्फ भरतुल निवासी नथूपुर कसाई मोहल्ला थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर गो-तस्करी संबंधित अपराध कारित करते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर मो० राशिद उर्फ सादिक, व 03 अन्य सदस्य के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत दिनांक 08.05.2024 को मु०अ०सं० 97/24 धारा 2 ख (i)(iv)(XI)(XVII)(XXV) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं क्रिया कलाप निवारण अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकाश में आये अन्य अभियुक्त नदीम पुत्र अकरम निवासी देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ, जिसे दिनांक 08.07.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त नदीम उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 10.07.2024 को आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित कर उसके विरुद्ध पूरक गैंगचार्ट प्रेषित किया गया था। जिसपर श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदनोपरान्त मु०अ०सं० 97/24 धारा 2 ख (i)(iv)(XI)(XVII)(XXV) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं क्रिया कलाप निवारण अधि० में अभियुक्त नदीम का नाम समाहित किया गया।

अभियुक्त का नाम, पता व अपराधिक इतिहास

नदीम पुत्र अकरम सा० देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

1. मु०अ०सं० 194/23 धारा 395/412 भादवि थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर –
2. मु०अ०सं० 198/23 धारा 419/420/307 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु के प्रति क्रूरता नि० अधि० थाना हरपुर बुदहट गोरखपुर
3. मु०अ०सं० 69/20 धारा 379, 411 भादवि थाना बडहलगांज जनपद गोरखपुर
4. मु०अ०सं० 411/23 धारा 379 भादवि थाना चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर-
5. मु०अ०सं० 415/23 धारा 379 भादवि थाना चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर

6. मु0अ0सं0 243/2020 धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1) द.3(1)ध,3(2)(Va)एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ
7. मु0अ0सं0 390/2020 धारा 34/398/401 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ
8. मु0अ0सं0 541/2022 धारा 411/414 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ
9. मु0अ0सं0 542/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ
10. मु0अ0सं0 78/2021 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ
11. मु0अ0सं0 64/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ
12. मु0अ0सं0 99/2021 धारा 34/307 भा0द0वि0 व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ
13. मु0अ0सं0 106/2021 धारा 307/34/420/467/468//471 भा0द0वि0 व 3/5/8ए गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ
14. मु0अ0सं0 190/2022 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ
15. मु0अ0सं0 26/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
16. मु0अ0सं0 402/2024 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ